भारत रक्षा मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 01-12-2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   पंचायत एवं प्रा० मीण विकास विभाग
   मंत्रालय, भोपाल

2. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
   मंत्रालय, भोपाल

विषय - पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक सेवन एवं पंचायत सचिवों के महँगाई भत्ता में वृद्धि।

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को आदेश क्रमांक एफ 4-1/2017/नियम/चार, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01-07-2017 से छटवें वेतनमान में 139% की दर से महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक सेवन एवं पंचायत सचिवों का वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर निर्माणित तिथि एवं दर से महँगाई भत्ता दिया जायें :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>अवधि जब से देय</th>
<th>महँगाई भत्ता का प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>छटवें वेतनमान में देय महँगाई भत्ता की दर दिनांक 01-07-2017 से (भारत जुलाई, 2017 का वेतन जो अगस्त, 2017 में देय होगा)</td>
<td>139%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[1/12] 17
4/ महागात्र संज्ञान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पंजीकरण)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पुष्पा, श्रीमान्: एफ 4-1/2017/नियम/चार
भोपाल दिनांक 01-12-2017

प्रतिलिपि
1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/अडिट) - 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
6. समस्त सांभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
7. संयुक्त संचालक, जनसंघर्ष क्रिकेट, मंत्रालय, भोपाल
8. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
9. गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अनुरोधित।

(अजय चोबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग